समक्ष घरेवाल *और आर. एस. मदन,* ज. ज.

जय भगवान- *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य – *उत्तरदाता*

क्रिमिनल* अपील संख्या *105 / डीबी* सन *2003

3 नवंबर, 2006

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 24 और 25 – भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 में सज़ा – ट्रायल न्यायलाया ने आरोपी द्वारा पुलिस हिरासत में दिये गए प्रकटीकरण बयान पर निर्भरता दिखाई– क्या किसी अपराधी द्वारा पुलिस अधिकारी के सामने कबूल किया गया अपराध उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है - निर्णय, नहीं–स्वीकारोक्ति को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं किया गया– अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित है– इस तरह के बयान का उपयोग धारा 27 में केवल सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है --- अपील की अनुमति, आरोपी को बरी कर दिया गया।

निर्णय, पुलिस के सामने गवाहों के बयानो को साक्षात्कार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत इसका स्पष्ट प्रतिबंध है। पुलिस के सामने आरोपियों का बयान अलग मामला है। वे बेबाक बयान हो सकते हैं। वे अलीबी या किसी अन्य संबद्ध मामले का खुलासा करते हैं। कुछ मामलों में वे स्वच्छ रूप से अपने गुनाह की स्वीकृति करने

वाले बयान हो सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 प्रदान करती है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गयी संस्वीकृति दंडनीय में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायलय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के वीरुध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धम्की, या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति कि ओर से दिया गया है और जो न्यायलय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्तियुक्त होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने वीरुध कार्यवाहियों के बारे में एहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या एहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

-(पैरा 19)

आगे निर्णित, अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के वीरुध साबित न की जाएगी। इस खंड का उद्देश्य अनुचित प्रभाव के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों से प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति को उनके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना है। इस तरह के एक बयान को पूरी तरह से सबूतों से बाहर रखा जाएगा क्योंकि जिस व्यक्ति को यह बयान दिया गया है, उन पर इस तरह की स्वीकारोक्ति साबित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जबरदस्ती स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में कुख्यात होते हैं।

(पैरा 20)

आगे निर्णित, विद्वित ट्राइल न्यायाधीश ने Ex. PP के बयान का उपयोग किया और जय भगवन-

अपीलकर्ता के खिलाफ आदेश को पलट दिया। यह बयान जय भगवान द्वारा पुलिस हिरासत में किया गया एक बयान था। चूंकि यह एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं बनाया गया था, इसलिए, यह स्वीकारोक्ति अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित थी और न ही यह अधिनियम की धारा 26 के तहत अपवादों में दी गई थी। इस कथन का उपयोग केवल अधिनियम की धारा 27 में दिए गए सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जो यह प्रदान करता है कि जब किसी भी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उससे कुछ पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबन्धित है, साबित की जा सकेगी।

(पैरा 21)

बलदेव सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ वकील सुधीर शर्मा, *अपीलकर्ता के लिए.*

एस. एस. गोरिपुरिया, डीएजी, हरियाणा.

निर्णय

क. एस. गरेवल, **माननीय न्यायधीश:**

(1) जय भगवान ने अपने भाई चंडी राम, चंडी राम के बेटे राजेश और उनकी अपनी पत्नी पुष्पा के साथ विद्वित अतिरिक्त जिला न्यायधीश, गुड़गांव के सामने जय भगवानके भतीजे करंबिर की

हत्या एवं रामबीर (पीडब्लू -9) को चोट पहुंचाने के आरोपों के मुकदमे का सामना किया।

(2) 14 दिसंबर, 2002 के निर्णय द्वारा चारों आरोपियों में से केवल जय भगवानको ही दोषी पाया गया था। जय भगवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और धारा 324 के तहत 2 साल की कैद दी गयी थी। उसके ऊपर भुगतान एवं वह भुगतान के डिफ़ॉल्ट में कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। सभी सज़ाओं को समवर्ती से चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

(3) इस मामले में जग्गा राम के तीन बेटों के बीच विवाद शामिल है जिनहे छिलारकी में रहने वाली उनकी मौसी पंची ने गोद लिया था। उन तीन बेटों के नाम सुबे सिंह, जय. भगवानऔर चंडी राम थे। इस मामले में मृतक, और घायल गवाह रामबीर (PW-9) सुबे सिंह के बेटे हैं जबकि सुबे सिंह के भाई जय भगवानऔर चंडी राम, जय भगवानकी पत्नी पुष्पा और चंडी राम का बेटा राजेश आरोपी हैं। सुबे सिंह की पत्नी खिल्लीया (PW)8) घटना की दूसरी प्रत्यक्षदर्शी थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जागे राम के पास उनके पैतृक गाँव लाडपुर एवं उनको गोद लिए हुए गाँव छिलारकी दोनों में जमीने थी। जागे राम की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति उनके तीन बेटों को समान हिस्सेदारी में विरासत में मिली थी। जय भगवान और चंडी राम ने लाडपुर वाली जमीन बेच दी, जिसमें सुबे सिंह का हिस्सा भी शामिल था, लेकिन सुबे को बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं दिया। इस वजह से तीनों भाइयों और उनके परिवारों के सदस्य के बीच मतभेद पैदा हो गए।

(4) 7 अक्टूबर 2000 को रात 9 बजे, मृतक करमबीर और उसका भाई रामबीर उनके घर के सामने खड़े थे। उन्होंने जय

भगवानऔर चंडी राम को चेतावनी दी कि उनके हिस्से में जो ज़मीन है, उसमें वह केवल तब तक ही खेती करेंगे, जब तक लड़पुर में ज़मीन की बेची के सम्बंध में विवाद हल नहीं हो जाता। जय भगवानने जवाब दिया कि उन्हें कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है और सुबे सिंह या उनके पुत्रों को कुछ भी चुकाने की आवश्यकता नहीं है, और वे छिलारकी में अपने हिस्से की ज़मीन पर खेती करनी जारी रखेंगे। खिल्लीया (PW-8) ने रामबीर और करमबीर को अपने घर ले जाने की कोशिश की लेकिन इस बीच आरोपी वहां पहुंच गए। जय भगवानऔर राजेश चाकू से लैस थे जबकि चंडी राम और पुष्पा निहत्थे आए थे। पुष्पा ने अपने सह-अभियुक्तों को कहा कि रामबीर और करमबीर को जमीन की मांग के लिए एक सबक सिखाया जाए। चंदगी राम ने करमबीर को पकड़ लिया और राजेश ने उसके सीने और मुँह पर छूरा घोंप दिया। पुष्पा ने रामबीर (पीडब्लू -9) को पकड़ा और जय भगवानने उसके शरीर पर वार किया। जब वे चिल्लाये, तो सुबे सिंह के पुत्र विजेंदर और करमबीर की पत्नी नीरज वहां पहुंचे। करम्बिर और रामबीर दोनों नीचे गिर गए और आरोपी फरार हो गए। करमबीर बेहोश हो गए और उसे उसके चोटिले भाई के साथ सीएचसी, पटौदी, ले जाया गया, जहां डॉक्टर योगेश लता (पीडब्ल्यू-6) ने करमबीर को मृत घोषित कर दिया। हालाँकि, रामबीर का चिकित्सक निरीक्षण किया गया और उसे जनरल हॉस्पिटल, गुड़गांव के लिए भेज दिया गया। बाद में उसे सफदरंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली ले जाया गया, जहां वह 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2000 तक भर्ती रहे। डॉक्टर योगेश लता ने घायल रामबीर और मृत करमबीर के शव के आने की रिपोर्ट पटौदी के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी। एसएचओ ने A.S.I राम चंदर (पीडबल्यू-11) जो की पुलिस पोस्ट हैली मंडी के प्रभारी अधिकारी थे, उन्हे अन्वेषन के लिए पटोदी के उक्त स्वास्थ्य केंद्र में भेझा। A.S.I राम चंदर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे और करमबीर की माँ खिल्लीया (पीडबल्यू 8) के बयान दर्ज किए जिसके आधार पर 8

अक्टूबर, 2000 को रात को 12:05 बजे (0005 घंटे) एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई।

(5) A.S.I राम चंदर द्वारा अन्वेषन किया गया, जिन्होंने पहले शव पर पुछताछ रिपोर्ट तैयार की और फिर इसे पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए भेजा दिया। इसके बाद, वह मौके पर गया और खून आलूदा मिट्टी उठाई। उन्होंने घटनास्थल का नक्शा मौका भी तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। करमबीर के शव का पोस्टमॉर्टम डॉक्टर बी. बी. अग्रवाल (पीडब्ल्यू-1) ने गुड़गांव के जनरल हॉस्पिटल में किया। मृतक के व्यक्ति निम्नलिखित पर चोटें आईं

(1) "स्पष्ट मार्जिन के साथ 3.2 सेमी अण्डाकार घाव, दोनों छोर तीव्र थे. यह xiphitermen से 2.7 सेमी ऊपर था और उरोस्थि के बाईं ओर सिर्फ पाश्र्व।

(2) बाएं गाल पर 3.3 सेमी अण्डाकार चीरा हुआ घाव, मुंह के कोण से 4 सेमी पाश्र्व मध्य की ओर पूंछ, त्वचा की गहराई तक।

(3) बाईं कोहनी बायीं कोहनी के पृष्ठ भाग पर हल्के रक्त के साथ 3 खरोंचें, 1 सेमी। x 1 सेमी, और व्यास आधा सेमी।"

(6) चिकित्सा अधिकारी ने यह भी नोट किया कि चोट संख्या 1 पर सबस्टर्नल इकोमोसिस था। बाएं वेंट्रिकल के बाईं ओर एक छोटा सा कट था और पेरीकार्डियम खून से भरा था। बायां निलय भी खून से भी भरा हुआ था। पेट में अर्ध ठोस भोजन और तरल पदार्थ था। चिकित्सा अधिकारी की राय में मृत्यु का कारण रक्तस्राव और हृदय में चोट लगने के कारण सदमा था। सभी चोटें प्रकृति में एंटी-मॉर्टम थीं और चोट नंबर 1 सामान्य रूप से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। चोटों और मृत्यु के बीच का संभावित समय 5-10 मिनट का था।

(7) 7 अक्टूबर, 2000 को रात 11 बजे दिल्ली के जनरल अस्पताल, गुड़गांवलासफदुरजंग अस्पताल में रेफर किए जाने से पहले

रामबीर की डॉक्टर योगेश लता (PW-6) द्वारा चिकित्सकीय जाँच की गई थी. । चिकित्सा अधिकारी ने रामबीर में से शराब की महक पाई थी। उसने भी उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाईं: –

1. बाएं हाथ के निचले हिस्से के पार्श्व पहलू पर कटा हुआ घाव 2.3 सेमी X 0.5 सेमी x पूर्ण मांसपेशी गहराई वाला आधा भाग, दोनों हाथों पर टेपरिंग, घाव के स्थान पर हल्का ताजा खून देखा गया।
2. दाहिनी ओर की पीठ पर मध्य से मध्य तक कटा हुआ घाव दाहिनी स्कैपुलर क्षेत्र की सीमा का आकार 1.2 सेमी x 0.25 सेमी x मांसपेशी गहरा। घाव के स्थल पर थोड़ा ताजा खून देखा गया।
3. छाती के निचले भाग के बाएँ पार्श्व भाग पर कटा हुआ घाव आकार का आधा हिस्सा 3.4 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशी गहरा। थोड़ा ताज़े घाव के स्थल पर खून देखा गया। इस चोट के एक्स-रे के लिए उन्हे जीएच, गुड़गांव भेजा गया था।
4. छाती के बाएं पार्श्व पहलू पर कटा हुआ घाव, निचले हिस्से का आकार 2 सेमी x 0.25 सेमी x मांसपेशी गहरा था। घाव से हल्का ताजा खून निकला हुआ था। यह चोट को एमएलआर के अनुसार एक्स-रे आगे जांच के लिए जीएच गुड़गांव को रेफर किया गया था। “

(8) 12 अक्टूबर, 2000 को A.S.I. राम चंदर (PW-11) द्वारा जय भगवन, चंडी राम और राजेश को गिरफ्तार किया गया था। पुष्पा को 3 नवम्बर, 2000 को गिरफ्तार किया गया. 14 अक्टूबर, 2000 को जांच अधिकारी ने जय भगवानसे पूछताछ की जिन्होंने अपने फर्द इंकसाफ़ में यह बयान दिया उसने चाकू को एक छप्पर में रख रखा था। उनका बयान को Ex. PP रिकॉर्ड किया गया। बयान पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद जय भगवानपुलिस पार्टी को अपने घर तक लेकर गया और वह जगह दिखाई जहा उसने चाकू को छुपा रखा था। पुलिस द्वारा चाकू को कब्जे में लिया गया।

(9) 3 नवंबर, 2000 को अन्वेषन अधिकारी ने तलाश किए गए चाकू को चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, गुड़गांव से यह राय

लेने के लिए दिखाया कि क्या करमबीर मृतक पर चोटें उस चाकू के कारण लग सकती थीं और उन चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती थी। चिकित्सा अधिकारी ने डॉ. बी. बी. अग्रवाल (PW-1) से बात की जिन्होंने कहा कि चाकू (चौड़ाई में 2.9 सेमी मापने) से इन चोटों की संभावना स्पष्ट थी। इसके बाद, चाकू को बीबी सील के साथ फिर से सील किया गया और नमूना सील सौंप दिया गया।

(10) अन्वेषन के बाद चारों आरोपियों को ट्राइल के लिए भेज दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं धारा 324/34 के तहत उन सभी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे और जिसके लिए आरोपी ने दोषी नहीं होने का दावा किया और ट्राइल की मांग की। मुकदमे में, अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य गवाहों डॉ. बी. बी. अग्रवाल (PW-1), डॉ. योगेश लता (PW-6), खिलिया (PW-8), रामबीर (PW-9) और ASI राम चंदर (PW-11) की गवाही की गई।

(11) आरोपियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बिना शपथ बयान दर्ज किए गए। जय भगवानने आरोपियों और मृतक के बीच के रिश्ते को स्वीकार किया और यह भी माना कि उनके पिता को छिलारकी में उनकी मातृ चाची द्वारा गोद लिया गया था और अपने पैतृक गांव लाडपुर को छोड़ दिया था। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपने भाई सुबे सिंह का हिस्सा बेच दिया था। उन्होंने पार्टियों के विवाद की अन्य परिस्थितियों और उसके खिलाफ पैदा हुए सबूतों से भी इनकार किया। उसने स्वीकार किया उन्हें 12 अक्टूबर, 2000 को चंडी राम और राजेश के साथ गिरफ्तार किया गया था और चिकित्सा निरीक्षण के लिए PHC, पटौदी भेजा गया था। हालांकि, उन्होंने 14 अक्टूबर, 2000 को एएसआई राम चंदर द्वारा की गई पूछताछ से और अन्वेषक द्वारा बनये गए फर्द इंकसाफ़ Ex. PP से इनकार कर दिया। बयान के आधार पर की गई चाकू की तलाश से भी इनकार किया गया था।

(12) बचाव में, जय भगवानने यह दलील दी कि घटना वाले दिन, रामबीर ने दीवार फांदकर उसके घर में प्रवेश किया, और लाठी से मारा। उसने खुद को बचाया। रामबीर ने फिर से एक लाठी से उसके सिर

पर मारा और उसे लाठी से मारता रहा। जय भगवानको रामबीर से मारे जाने का डर था और इसलिए उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए रामबीर को चोटें पहुंचाई।

(13) आरोपी से बरी किए गए चंगडी राम ने निम्नलिखित प्रति-संस्करण दिया: –

> "मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। दरअसल, जय भगवान और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच गांव लाडपुर की कुछ कथित जमीन को लेकर विवाद था। श्रीमती खिल्लीया के पुत्र कभी- कबार जय भगवानको पीट दिया करते थे और मैं बीच-बचाव करता था क्योंकि जयभगवान बिल्कुल अकेला था और उसके छोटे-छोटे बच्चे थे जबकि श्रीमती खिललिया के तीन बड़े बेटे थे। घटना की कथित तारीख पर मैं अपने घर पर मौजूद था जब जय भगवान की बेटी ढोली जो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे फोन करके दावा किया कि उसके पिता को रामबीर और करम बीर द्वारा पीटा जा रहा है और राम बीर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। हमेशा की तरह मैं बीच-बचाव करने गया और उन्हें शांत कराया। कर्मबीर और रामबीर दोनों शराब के नशे में थे। जब मैं वहां पहुंचा तो रामबीर ने जयभगवान को गाली देते हुए कहा कि वह उसकी बेटी से शादी करेगा और उसे उससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। मैं रामबीर को पकड़ कर उसके घर ले गया। उस समय वहां थोड़ा अंधेरा था। मैं खाली हाथ था। मैंने कभी भी किसी के शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाई। मैं तो बस हस्तक्षेप करने में व्यस्त था। वास्तव में एफआईआर में मुख्य रूप से दलीप पुत्र जुगती निवासी हेली मंडी और छिल्लरकी गांव का ही निवासी शामिल था। मैंने सरपंच राजेंद्र का समर्थन किया था। कर्मबीर के दाह संस्कार के समय मैं गांव में मौजूद था। दरअसल, मैंने ही उनकी चिता जलाई थी। मेरा बेटा राजेश भी उस समय मौजूद था। श्रीमती करमबीर की हत्या के अगले दिन खिल्लीया का दामाद हवा सिंह और उसका बड़ा भाई राज भी हमारे घर पर रुके थे। मेरी पत्नी और बेटा राजेश घायलों के साथ पटौदी गए थे और उसके बाद मेरी पत्नी बीरवती रामबीर के साथ

गुड़गांव गई थीं। मेरे बेटे राजेश को श्रीमती खिल्लीया ने अपने घर भेजा था क्योंकि उसकी बड़ी पोतीयाँ घर पर अकेली थी।

(14) राजेश और पुष्पा दोनों की भी गवाही हुई थी लेकिन उन्हे हम दुबारा से लिखना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि उन्होनें वही बयान दिये जो राजेश ने दिये थे कि वह घटनास्थल पर घटना के बाद पहुंचा था और पुष्पा ने भी यही कहा कि वह निर्दोष है। बचाव पक्ष में अभियुक्त ने डॉ. डी. वी. यादव (DW-1), राजिंदर सिंह (DW-2), राज सिंह (DW-3), बिल्लू (DW-4) और दिलपत सिंह (DW- 5) की गवाहियाँ करवाई।

(15) विद्वित ट्रायल जज ने फर्द इंकसाफ़ Ex. PP पर निर्भर करते निम्नलिखित शब्दों में यह कहा कि: -

"इस प्रकार, तथ्य यह है कि चाकू की बरामदगी (Ex. P1) आरोपी जय भगवानसे उसके प्रकटीकरण कथन पूर्व के अनुसरण में की गई थी। Ex. PP में लिखे हुए बयानों पर बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। Ex. PP को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह बयान आरोपी जय भगवान को खुद ही अपराध में शामिल करता है। यह बयान मामले में महत्वपूर्ण सबूत है। इसलिए, हालांकि, यह आरोपी जय भगवान द्वारा पुलिस को पहले दिए गए कबूलनामे की तरह ही है लेकिन इसे रद्दी कागज के टुकड़े के रूप में नहीं फेंका जा सकता क्योंकि यह बयान आरोपी जय भगवान ने PW11 के समक्ष स्वेच्छा से दिया था। फ़ाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण यह बयान दिया है। इससे चाकू की बरामदगी हुई जिसे इस प्रकटीकरण विवरण के अभाव में बरामद नहीं किया जा सका। इस संबंध में **बलबीर सिंह *बनाम* पंजाब राज्य AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 216** को रेफर किया जा सकता है।"

29. एक बार बयान Ex. PP को साक्ष्य में स्वीकार्य किए जाने पर स्पष्ट तोर से पूरी कहानी समझ आ जाती है। संबंधित भाग का अंग्रेजी अनुवाद इस कथन में इस प्रकार है: –

> "7 अक्टूबर, 2000 को शाम को रामबीर शराब पीकर आया और जमीन के बंटवारे के बहाने झगड़ा करने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन उसे समझ नहीं आया। शोर सुनकर मेरा भाई चंदगी और उसका बेटा राजेश और मेरी पत्नी पुष्पा भी आ गये। उधर कर्मबीर, उसकी मां और पत्नी भी आ गईं। रामबीर ने मेरे सिर पर लाठी मारी। मैंने अपने बचाव में उस पर चाकू से वार किया। रामबीर को मेरा भाई चंदगी राम ले गया था। इसके बाद कर्मबीर वहां आया और मुझे तमाचा जड़ दिया। मेरी पत्नी पुष्पा और चंदगी राम के बेटे राजेश ने उसे पकड़ लिया। मैंने अपना आपा खो दिया और करमबीर को चाकू मार दिया। चाकू लगने से कर्मबीर नीचे गिर गया। चाकू मैंने अपने चिपपर में छिपा रखा है। छिपने के स्थान का ज्ञान मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं पता था। मैं इसे छुपाने की जगह से बरामद करवा सकता हूँ।"

(16) विद्वित ट्रायल जज ने राजेश और पुष्पा को दोषमुक्त करने के लिए Ex. PP को रेफर किया। उन्होंने कहा कि बयान से पता चलता है कि चंदगी राम ने रामबीर को दबाह देने के इरादे से उसे नहीं पकड़ा था ताकि जय भगवान उसे चोट पहुंचा सके। बल्कि चंदगी राम ने झगड़ा खत्म करने और जय भगवान से बचाने के लिए रामबीर को पकड़ लिया था। विद्वान ट्रायल जज ने फैसले के पैरा 33 और 34 में Ex. PP का हवाला देते हुए कहा कि राजेश और पुष्पा को दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वे विवाद को समाप्त करने और किसी भी घातक घटना से बचने की कोशिश कर रहे थे। करमबीर ने जय भगवान को थप्पड़ मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था और फिर जय भगवान ने करमबीर को चाकू मार दिया था जिससे वह गिर गया था। इसलिए, यह स्पष्ट था कि कर्मबीर को राजेश ने नहीं बल्कि जय भगवान ने चाकू मारा था। इसके परिणामस्वरूप विद्वान ट्रायल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

अभियोजन पक्ष आरोपी चंदगी राम, राजेश और पुष्पा की भागीदारी को साबित करने में विफल रहा। इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाता है। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने यह भी माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि जय भगवान ने रामबीर (पीडब्लू-9) और करमबीर को चाकू मारा था और इसलिए, जय भगवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत दोषी पाया गया।

(17) अभियोजन साक्ष्य के सबूतों पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि जय भगवान की सजा उस पर आधारित नहीं थी जो चश्मदीद गवाह खिलिया (पीडब्लू-8) और रामबीर (पीडब्लू-9) ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। जय भगवान की सजा पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति (प्रदर्शनी पीपी) पर आधारित थी। जय भगवानको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिये गए बयान को उसका संस्करण कहा जा सकता है कि यह मामले का उनका संस्करण है, लेकिन इस पर चर्चा तक नहीं की गई। यहां तक कि चंदगी राम द्वारा धारा 313 के तहत दिया गया संस्करण भी विद्वान ट्रायल जज द्वारा संदर्भित नहीं किया गया था।

(18) एक सेशन ट्राइल में, ट्रायल जज ने सबसे पहले आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करते है और उसके बाद उसकी दलील रेकॉर्ड करते है। यदि अभियुक्त खुद को दोषी नहीं मानता है, तो अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। अभियोजन साक्ष्य के निष्कर्ष पर, यदि अदालत को पता चलता है कि आरोपी ने अपराध किया है इस बात का कोई सबूत नहीं है तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। यदि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है तो उसे अपने बचाव में साक्ष्य रखने के लिए कहा जाता है। बचाव साक्ष्य दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या आरोप से बरी किया जा सकता है। इससे मुकदमा समाप्त हो जाता है।

(19) पुलिस के समक्ष गवाहों के बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 Cr.P.C के तहत इसका प्रतिबद्ध है। पुलिस के सामने गवाहों के बयानो को साक्षात्कार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत इसका स्पष्ट प्रतिबंध है।

पुलिस के सामने आरोपियों का बयान अलग मामला है। वे बेबाक बयान हो सकते हैं। वे अलीबी या किसी अन्य संबद्ध मामले का खुलासा करते हैं। कुछ मामलों में वे स्वच्छ रूप से अपने गुनाह की स्वीकृति करने वाले बयान हो सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 प्रदान करती है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गयी संस्वीकृति दंडनीय में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायलय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के वीरुध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धम्की, या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति कि ओर से दिया गया है और जो न्यायलय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्तियुक्त होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने वीरुध कार्यवाहियों के बारे में एहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या एहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

(20) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 वह प्रावधान है जो इस मामले में हमें चिंतित करता है। यह खंड प्रदान करता है कि पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के वीरुध साबित नहीं की जाएगी। इस खंड का उद्देश्य अनुचित प्रभाव के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों से प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति को उनके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना है। इस तरह के एक बयान को पूरी तरह से सबूतों से बाहर रखा जाएगा क्योंकि जिस व्यक्ति को यह बयान दिया गया है, उन पर इस तरह की स्वीकारोक्ति साबित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जबरदस्ती स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में कुख्यात होते हैं।

(21) यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि विद्वित ट्राइल न्यायाधीश ने Ex. PP के बयान का उपयोग किया और जय भगवन-अपीलकर्ता के खिलाफ आदेश को पलट दिया। यह बयान जय भगवान द्वारा पुलिस हिरासत में किया गया एक बयान था। चूंकि यह एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं बनाया गया था, इसलिए, यह स्वीकारोक्ति अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित थी और न ही यह अधिनियम की धारा 26 के तहत अपवादों में दी गई थी। इस कथन का उपयोग केवल अधिनियम की धारा

27 में दिए गए सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जो यह प्रदान करता है कि जब किसी भी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उससे कुछ पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबन्धित है, साबित की जा सकेगी।

(22) Ex. PP में दिये गए बयान द्वारा चाकू की बरामदगी का नेतृत्व किया गया और उस चाकू को चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया जिसने अपनी राय दी यह वह चाकू था जिससे करमबीर को घातक चोट लग सकती थी। Ex. PP का उपयोग केवल इस सीमा तक सीमित था और नहीं जिस तरीके से विद्वान ट्रायल जज ने इसे दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।

(23) साक्ष्य की सराहना का तरीका पूरी तरह से है साक्ष्य की सराहना के स्वीकृत मोड से अलग होता है। कम से कम कहने के लिए, विद्वान ट्रायल जज द्वारा अपनाई गई पंक्ति विकृत है और योग्यता के अलावा अन्य विचार से प्रेरित हो सकती है। भले ही कोई परोपकारी दृष्टिकोण अपनाया गया हो, यह सकारात्मक रूप से दर्ज किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति वाला कोई भी न्यायाधीश इस तरह से कार्य नहीं करेगा।

(24) ट्रायल जज द्वारा दोनों चश्मदीदों पर अविश्वास किया गया। विद्वित ट्रायल जज द्वारा भरोसा किया गया साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्यूंकी वह अस्वीकार्य था, इसलिए, सजा को रिकॉर्ड करने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शेष साक्ष्य जय भगवानकी सजा का समर्थन नहीं करते हैं।

(25) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। यह अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। जब तक किसी अन्य मामले में वांछित न हो, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

जय भगवान*बनाम* हरियाणा राज्य
(के. एस. घरेवाल, जे)

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा